



अंत्योदय-सरल



भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

मातृत्व लाभ योजना – भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (योजना)

पात्रता :

1. पंजीकृत महिला निर्माण कर्मकार की एक वर्ष की नियमित सदस्यता आवश्यक है (पिछले एक वर्ष की अवधि में कम से कम 90दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करने का प्रमाण पत्र सलंगन करना अनिवार्य है एवं नियत अंशदान जमा हो)
2. मातृत्व लाभ दो बच्चो तक देय है किन्तु बच्चो का कम न देखते हुए तीन लडकियों के जन्म तक विस्तार योग्य है ।
3. पति द्वारा इस बोर्ड या किसी अन्य विभाग / बोर्ड / निगम से पितृत्व लाभ लेने की अवस्था में मातृत्व लाभ देय नहीं होगा ।

उपलब्ध करवाये जाने लाभ :

1. रू 36000 /- वित्तीय सहायता ।

आवश्यक दस्तावेज :

1. आधार कार्ड (बच्चे का)
2. जन्म प्रमाण –पत्र
3. शपथ पत्र – पति द्वारा इस बोर्ड या किसी अन्य विभाग / बोर्ड / निगम से पितृत्व लाभ लेने की अवस्था में मातृत्व लाभ देय नहीं होगा

सेवा के लिए फीसें :

सरकारी प्रभार	केन्द्र सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
.....	रू0 20 /-	रू0 20 /-